(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस–बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0–सदाकत आश्रम, पटना–800010

पत्रांकः पटना, दिनांकः

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर,भा0व0से0

सदस्य–सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना–800023.

विषयः **मेसर्स एस.के.एस इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा० लि०, निदेशक– संतोष कुमार शर्मा, पिता– श्री सुरेश प्रसाद शर्मा एवं रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक– विनीत यादव, पता– 51 ए.पी. कॉलोनी, पोस्ट+थाना– रामपुर, जिला गया द्वारा ब्लॉकः 44 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्याः 04/05/06), ग्रामः नीमा, गोथु, मोचारिम एवं राजबार, अंचलः बोधगया, मोहनपुर, जिला–गया में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स एस.के.एस इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा० लि०, निदेशक– संतोष कुमार शर्मा, पिता– श्री सुरेश प्रसाद शर्मा एवं रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक– विनीत यादव, पता– 51 ए.पी. कॉलोनी, पोस्ट+थाना– रामपुर, जिला गया द्वारा ब्लॉकः 44 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्याः 04/05/06), ग्रामः नीमा, गोथु, मोचारिम एवं राजबार, अंचलः बोधगया, मोहनपुर, जिला–गया से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांकः 23.02.2024 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– मेसर्स एस.के.एस इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा० लि०, निदेशक– संतोष कुमार शर्मा, पिता– श्री सुरेश प्रसाद शर्मा एवं रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक– विनीत यादव, पता– 51 ए.पी. कॉलोनी, पोस्ट+थाना– रामपुर, जिला गया द्वारा ब्लॉकः 44 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्याः 04/05/06), ग्रामः नीमा, गोथु, मोचारिम एवं राजबार, अंचलः बोधगया, मोहनपुर, जिला–गया को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– 927　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक :– 13-05-24

प्रतिलिपिः–श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद्, पटना को निदेश है कि दिनांकः 23.02.2024 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद् के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांकः 23.02.2024 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

10/5/24
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

<u>लोक सुनवाई का वृत।</u>

मेसर्स एस. के. एस इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा० लि०, निदेशक–संतोष कुमार शर्मा, पिता–श्री सुरेश प्रसाद शर्मा एवं रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक–विनीत यादव, पता– 51 ए. पी. कॉलोनी, पोस्ट+थाना–रामपुर, जिला–गया द्वारा गया ब्लॉकः 44 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्याः 04/05/06), ग्रामः नीमा, गोथु, मोचारिम एवं राजबार, अंचलः बोधगया, मोहनपुर, जिला–गया का गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस. ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संषोधित के तहत् दिनांक 23.02.2024 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2487/2023, dated 31.10.2023 के आलोक में श्री अनुग्रह नारायण सिंह, अपर समाहर्ता (विषेष कार्यक्रम), गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 23.02.2024 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 19.01.2024 को प्रकाषित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संषोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाष डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया ब्लॉकः 44 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्याः 04/05/06), ग्रामः नीमा, गोथु, मोचारिम एवं राजबार, अंचलः बोधगया, मोहनपुर, जिला–गया के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेष्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

Scanned with CamScanner

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मनोज कुमार बघेल ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु वाहनो में ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री गुड्डु कुमार यादव, पताः नीमा, जिलाः गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नीमा बालु घाट को यथाषीघ्र चालु किया जाय ताकि ग्रामीण लोगो को रोजगार मिल सके। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
2.	श्री रामविलास यादव, पताः नीमा, जिलाः गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन उपरांत बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाय, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जाय साथ ही स्थानीय नागरिको को प्राथमिकता देते हुये रोजगार दिया जाय। साथ ही अनुरोध किया गया कि नीमा बालु घाट को यथाषीघ्र चालु किया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
3.	श्री अजय कुमार, पताः गोथु, जिलाः गया।	इनके द्वारा बताया गया कि इस इलाके में वर्षा इस वर्ष नहीं हुआ है, जिससे नदी में पानी नहीं है तथा पूर्व में हुये उत्खनन के दौरान बालू का उठाव काफी ज्यादा कर लिया गया है, जिसकारण कहीं कहीं पर

Scanned with CamScanner

		बहुत सारे गढ्ढे हो गये हैं, जिससे ग्रामीणो के बच्चे एवं मवेशियों के डुबने का डर बना रहता है। ग्रामीणों के सिंचाई करने हेतु मात्र एक नदी ही साधन है। इस बालू घाट की स्वीकृति नही देने की मॉग की गयी।
4.	श्री राजेष कुमार यादव, पताः नीमा, जिलाः गया।	इनके द्वारा बताया गया कि इस नदी में बालू के उठाव से नदी के जलस्तर में कमी आती है, जिससे पटवन में दिक्कत होती हैं। इस बालू घाट पर खनन बंद होना चाहिए से संबंधित षिकायत करते हुये घाट न चालू करने की मॉग की गयी।
5.	श्री राजीव कुमार, पताः नीमा, जिलाः गया।	
6.	श्री पवन कुमार यादव, पताः नीमा, जिलाः गया।	

जन–सुनवाई के दौरान उपस्थित काफी लोगो के द्वारा इस बालू घाट पर खनन कार्य का रोक लगाने का विरोध के साथ अनुरोध किया गया। तद्आलोक में अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सभी लोगो से पक्ष एवं विपक्ष में अपने द्वारा हाथ उठाकर मत देने का अनुरोध किया गया। जिसमें कुल पक्ष में 12 लोग एवं विपक्ष में 21 लोग थे। लगभग 64 प्रतिशत से अधिक उपस्थित लोगो के द्वारा विरोध प्रकट करते हुये इस बालू घाट पर उत्खनन का कार्य करने की अनुमति नही दिये जाने के सबंध में अनुरोध किया गया।

जन–सुनवाई के दौरान परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर मंतव्य की मांग की गई, जिसमें इनके द्वारा घाट चालू करने की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव एवं अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) द्वारा दिये गये जानकारी को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से इस बालूघाट खनन परियोजना को प्रारंभ नहीं करने हेतु सक्षम प्राधिकार को अग्रेतर कारवाई हेतु भेजने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद, गया

23/2/24
अपर समाहर्त्ता
गया

Scanned with CamScanner

उपस्थिति सूची

मेसर्स एस.के.एस इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा० लि०, निदेशक– संतोष कुमार शर्मा, पिता– श्री सुरेश प्रसाद शर्मा एवं रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक– विनीत यादव, पता– 51 ए.पी. कॉलोनी, पोस्ट+थाना– रामपुर, जिला गया द्वारा ब्लॉकः 44 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्याः 04/05/06), ग्रामः नीमा, गोथु, मोचारिम एवं राजबार, अंचलः बोधगया, मोहनपुर, जिला–गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 23.03.2024 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Anugesh Narayan Singh	अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम गया	[signature] 23/2/24
2.	Manoranjan Kr Singh	R.O B.S.P.C.Bd, Gaya	[signature] 23.2.24
3.	Amit Kumar	खान निरीक्षक गया	[signature] 23/02/24
4.	Manoj Kr. Baghel	Assistant Manager Cognizance Research India Pvt. Ltd.	MK Baghel 23/02/24
5.	Santosh Kumar	Cognizance Research India Pvt Ltd	Santosh 23/2/24
6.	Yugesh Kumar	A.P. Colony Gaya	Yugesh Kr 23/02/24
7.	राजीव कुमार	ग्राम सिमा	राजीव कुमार
8.	Ravi Kumar	Rajawar	Ravi Kumar

Scanned with CamScanner

9.	सौरभ कुमार	ग्राम - राजभार	सौरभ कुमार
10.	रवि कुमार	ग्राम - राजभार	रवि कुमार
11.	गुड्डू कु० यादव	ग्राम - निमा	[illegible]
12.	प्रकाश कुमार	ग्राम - निमा	Prakash Ku
13.	रामविलास यादव	ग्राम - निमा	Rambilash yadav
14.	सुमित यादव	ग्राम - निमा	Sumit yadav
15.	विकास कुमार	ग्राम - निमा	Vikash ku
16.	राजू कुमार	ग्राम राजभार टोली	राजू कुमार
17.	कोदु पासवान	[illegible] टोली	कोदु पासवान
18.	मोहन कुमार	[illegible]	मोहन कुमार
19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Scanned with CamScanner

20.	रजेश कुमार	नीमा	रजेश कुमार
21.	श्यामसुन्दर कुमार	राजनगर टोली	~~[illegible]~~ कुमार श्यामसुन्दर
22.	अजय कुमार	गौढ़ु	अजयराय
23.	आयुष कुमार	राजनगर टोली	आयुष कुमार
24.	Satandar Kumar	गौढ़ु	~~[illegible]~~ Satandar kumar
25.	रौशन कुमार	काजीचक	रौशन कुमार
26.	ViRat Kumar	काजी चक	ViRat Kumar
27.	Ramesh Kr	काजीचक	Ramesh Kr
28.	Yogendra yadav	kajichak	Yogendra yadav
29.	Shivnath Prasad	Kajichak.	[illegible]
30.	कलेश्वर आदि	काजीचक	कलेश्वर

Scanned with CamScanner

31.	संतोष यादव	रुपवती	संतोष यादव
32.	[signature]	इशरावां	[signature]
33.	रंजीत कुमार	सीमा	रंजीत कुमार
34.	रंजन कुमार	सीमा	रंजन
35.	मुकेश यादव	आसमां	मुकेश
36.	विकास यादव	आसमाँ	विकास यादव
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

ई–मेल. msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट-http://bspcb.bihar.gov.in

BIHAR

लोक–सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित बालू घाटों का गया जिला में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है:–

1. मेसर्स एस.के.एस इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा० लि०, निदेशक– संतोष कुमार शर्मा, पिता– श्री सुरेश प्रसाद शर्मा एवं रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक– विनीत यादव, पता– 51 ए. पी. कॉलोनी, पोस्ट+थाना– रामपुर, जिला गया द्वारा ब्लॉक: 43 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्या: 01/02/03) ग्राम– रत्नारा गंगा बिगहा, अमवां, हथियारा, मोचारिम एवं नीमा, अंचल: बोधगया, जिला–गया, एवं
2. मेसर्स एस.के.एस इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा० लि०, निदेशक– संतोष कुमार शर्मा, पिता– श्री सुरेश प्रसाद शर्मा एवं रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक– विनीत यादव, पता– 51 ए. पी. कॉलोनी, पोस्ट+थाना– रामपुर, जिला गया द्वारा ब्लॉक: 44 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्या: 04/05/06), ग्राम: नीमा, गोधु, मोचारिम एवं राजबार, अंचल: बोधगया, मोहनपुर, जिला–गया।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी है तथा लोक–सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित है। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाईट: http://bspcb.bihar.gov.in पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद के ई–मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक–सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:–

क्रमांक	दिनांक:	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक–सुनवाई का स्थल
1.	23.02.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बोधगया जिला–गया	रत्नारा गंगा बिगहा, अमवां, हथियारा, मोचारिम एवं नीमा	ब्लॉक: 43 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्या: 01/02/03)	अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला–गया
2.	23.02.2024	अपराह्न 02:00 बजे	बोधगया, मोहनपुर जिला–गया	नीमा, गोधु, मोचारिम एवं राजबार	44 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्या: 04/05/06)	अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला–गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक–सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड–19 गाईड–लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेंगे।

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

सदस्य सचिव

PR- 15560 (NI NI) 2023-24

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है

हिन्दुस्तान
पटना, शुक्रवार, 19 जनवरी 2024 19

बिहार सरकार

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

ई–मेल. msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट-http://bspcb.bihar.gov.in

BIHAR

लोक–सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित बालू घाटों का गया जिला में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है:–

1. मेसर्स एस.के.एस इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा० लि०, निदेशक– संतोष कुमार शर्मा, पिता– श्री सुरेश प्रसाद शर्मा एवं रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक– विनीत यादव, पता– 51 ए. पी. कॉलोनी, पोस्ट+थाना– रामपुर, जिला गया द्वारा ब्लॉक: 43 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्या: 01/02/03) ग्राम– रत्नारा गंगा बिगहा, अमवां, हथियारा, मोचारिम एवं नीमा, अंचल: बोधगया, जिला–गया, एवं
2. मेसर्स एस.के.एस इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा० लि०, निदेशक– संतोष कुमार शर्मा, पिता– श्री सुरेश प्रसाद शर्मा एवं रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक– विनीत यादव, पता– 51 ए. पी. कॉलोनी, पोस्ट+थाना– रामपुर, जिला गया द्वारा ब्लॉक: 44 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्या: 04/05/06), ग्राम: नीमा, गोधु, मोचारिम एवं राजबार, अंचल: बोधगया, मोहनपुर, जिला–गया।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी है तथा लोक–सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित है। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाईट: http://bspcb.bihar.gov.in पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद के ई–मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक–सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:–

क्रमांक	दिनांक:	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक–सुनवाई का स्थल
1.	23.02.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बोधगया जिला–गया	रत्नारा गंगा बिगहा, अमवां, हथियारा, मोचारिम एवं नीमा	ब्लॉक: 43 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्या: 01/02/03)	अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला–गया
2.	23.02.2024	अपराह्न 02:00 बजे	बोधगया, मोहनपुर जिला–गया	नीमा, गोधु, मोचारिम एवं राजबार	44 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्या: 04/05/06)	अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला–गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक–सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड–19 गाईड–लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेंगे।

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

PR- 15560 (NI NI) 2023-24

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है

सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner

PUBLIC HEARING PHOTOGRAPHS

"लोक-सुनवाई"
दिनांक: 23.02.2024
समयः- अपराह्न 02:00 बजे

निदेशक- संतोष कुमार शर्मा, पिता- श्री सुरेश प्रसाद शर्मा एवं
ब्लॉक: 44 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्या: 04/05/06) ग्राम- नीमा, गोधु,
अंचल: बोध गया मोहनपुर, जिला-गया का गया जिला में परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय
निदेशक- विनीत यादव, पता- 51 ए.पी कॉलोनी, पोस्ट+थाना- रामपुर, जिला
स्वीकृति हेतु
'लोक-सुनवाई''
दिनांक: 23.02.2024
समयः- अपराह्न 02:00 बजे
लोक सुनवाई का स्थल: अंचल सभागार बोधगया, जिला-गया।
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना